

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 08 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 800000/- (आठ लाख रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक एवं पिता/पति का नाम	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/नि:शक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० चन्द्रकान्त कुमार, श्री अरूण कुमार सिंह, सामान्य	श्रीमती बंटी कुमारी (पत्नी)	303/02.07.2018	ग्रा०+पो०-सर्वा, था०+प्र०-बरबीघा, शेखपुरा	2474101021810	केनरा बैंक शेखपुरा, CNRB0002474	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर
2	स्व० अखिलेश कुमार, स्व० दिनेश कुमार, अ० पि० वर्ग	श्रीमती रिंकु देवी(पत्नी)	304/02.07.2018	ग्रा०-दयालीबीघा, पो०-केवटी, था०+प्र०-बरबीघा, शेखपुरा	0555000110070365	पंजाब नेशनल बैंक, मुंगेर, PUNB0055500	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, एक कृषक दैनिक मजदूर
3	स्व० मुकेश कुमार, श्री शत्रुघ्न सिंह, सामान्य	श्रीमती रीना देवी(पत्नी)	305/02.07.2018	ग्रा०+पो०-बेलछी, था०+प्र०-अरियरी, शेखपुरा	75772200022890	सिडिकोट बैंक, शेखपुरा, SYNBN0007577	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर
4	स्व० प्रमोद कुमार, स्व० दिनेश कुमार, अ० पि० वर्ग	श्रीमती रिता देवी(पत्नी)	306/02.07.2018	ग्रा०-दयालीबीघा, पो०-केवटी, था०+प्र०-बरबीघा, शेखपुरा	0555000110070338	पंजाब नेशनल बैंक, मुंगेर, PUNB0055500	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, एक कृषक दैनिक मजदूर
5	स्व० मो० कलाम, स्व० मो० अबुल हसन, सामान्य	श्रीमती सलमा खातुन (पत्नी)	316/05.07.18	मो०-बड़ी दरगाह, वार्ड नं०-12, पो०+था०+जि०-शेखपुरा	710002010005015	यूनियन बैंक, शेखपुरा, UBIN0571008	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, गाड़ी चालक के साथ-साथ घरेलू कामगार
6	स्व० राजेश दास, स्व० शिवबालक दास, अनु० जाति	श्रीमती किरण देवी(पत्नी)	317/05.07.18	ग्रा०-पिंजड़ीबीघा, पो०-पिंजड़ी, था०-बरबीघा, शेखपुरा	5469101000694	केनरा बैंक फरीदपुर, शेखपुरा, CNRB0005469	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य
7	स्व० जयराम तांती, स्व० युगल तांती, अनु० जाति	श्रीमती उषा देवी(पत्नी)	319/09.07.18	ग्रा०+पो०-अम्बारी, था०+प्र०-शेखपुरासराय, शेखपुरा	5199101003852	केनरा बैंक, नीमी, शेखपुरासराय, शेखपुरा CNRB0005199	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, टोकरी बुनकर(शिल्पकार) का कार्य
8	स्व० रामाश्रय पासवान, श्री रामजी पासवान, अनु० जाति	श्रीमती बबीता देवी(पत्नी)	320/09.07.18	मो०-फैजाबाद, वार्ड नं०-17, पो०+था०-बरबीघा, शेखपुरा	34864564961	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फैजाबाद, बरबीघा, शेखपुरा SBIN0002914	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण कार्य में मजदूरी का कार्य

कुल :-₹ 800000/-

(आठ लाख रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-48/2018 के पृष्ठ-03/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-48/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति को देंगे।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-48/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-48/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 800000/- (आठ लाख रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-48/2018-363

पटना, दिनांक :- 08-08-18

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, शेखपुरा को उनके पत्रांक 407 दिनांक 07.12.17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को उनके ज्ञापांक 303, 304, 305, 306 दिनांक 02.07.2018, 216, 317, 319 एवं 320 दिनांक 09.07.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।